भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-30
सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

भर्ती परीक्षा संस्थाएं

30. श्री सुनील कुमार पिन्टूः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रश्न-पत्रों के लीक होने, कट-मनी के प्रचलन जैसी गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों के मिलने के मद्देनजर क्या सरकार का देश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाली संस्थाओं अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का उचित और समय पर संचालन सुनिश्चित करने हेतु कोई ठोस नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): केंद्रीय सरकार की प्रमुख भर्ती अभिकरणों जैसे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा-प्रक्रिया संबंधी सुरक्षोपाय के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

i) संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन, ब्लू-टूथ और अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए परीक्षा स्थलों पर कम शक्ति के अवरोधकों को लगाना आरंभ कर दिया है।

ii) 2015 से सभी रेलवे परीक्षाओं में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आरंभ की गई है। इंटरनेट वेब पता, जिस पर ऑन-लाइन सीबीटी आयोजित किए जाते हैं, को इंडियन कम्प्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) का अनुमोदन है। लिखित परीक्षा के उपरांत, प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए संगत प्रत्युत्तरों को उनकी पंजीकृत ईमेलों पर प्रदान किया जाता है।

iii) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) जून, 2016 से पूर्व की ऑप्टीकल मार्क पहचान (ओएमआर (-) आधारित परीक्षा से कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं पर स्थानांतरित हो गया था तथा व्यापक उपाय किए हैं जो, अन्य बातों के साथ-साथ, परीक्षा स्थलों का परीक्षण, कृत्रिम-परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा स्थलों पर जांच अधिकारियों के रूप में अपने प्रतिनिधियों को तैनात करना, परीक्षा स्थलों की व्यापक सीसीटीवी कवरेज आदि को शामिल करता है।

iv) हाथ से पकड़े जाने वाले धातु संसूचकों (मैटल डीटेक्टर्स) की मदद से अभ्यर्थियों की संघन जांच एवं टटोल कर तलाशी लेना, उनकी बायो-मैट्रिक उपस्थिति दर्ज करना, उनके फोटों लेना एवं मिलान करना आदि कार्य भी परीक्षा केंद्रों पर किए जाते हैं।

*****